अध्याय-1

परिचय

अध्याय-1

परिचय

1.1 74वां संविधान संशोधन अधिनियम

शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए, यह आवश्यक समझा गया कि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधानों को एक संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में सम्मिलित किया जाए। ऐसा संशोधन कार्यों, संसाधनों के साथ-साथ चुनावों का नियमित संचालन और कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार के बीच उनके संबंधों को मजबूत करने के लिए था।

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992, जो 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ, ने देश में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-डब्ल्यू ने राज्य विधानमंडलों को, स्थानीय निकायों को स्वशासित संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करने हेतु तथा उन्हें शक्तियों एवं जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करने हेतु कानून बनाने के लिए अधिकृत किया। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाने वाले 18 विशिष्ट कार्यों की अनुशंसा की गई है।

1.2 उत्तराखण्ड में शहरीकरण की प्रवृत्ति

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य की शहरी आबादी छावनियों और जनगणना शहरों[1] सहित 30.5 लाख थी। कुल मिलाकर शहरीकरण की दर लगभग 30.2 *प्रतिशत* थी। चार *प्रतिशत* की औसत वार्षिक शहरी विकास दर, 1.2 *प्रतिशत* ग्रामीण विकास दर की तुलना में बहुत अधिक है।

निवासरत शहरी आबादी के अतिरिक्त, राज्य में अनेक पर्यटन स्थल एवं तीर्थस्थल हैं जैसे मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री। परिणामस्वरूप, पूरे वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही रहती हैं। यह शहरी बुनियादी ढाँचे और शहरी सेवाओं पर भी बोझ बढ़ाता है।

[1] जनगणना शहर वह है जिसे वैधानिक रूप से अधिसूचित और शहर के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है, परन्तु फिर भी जिनकी आबादी ने शहरी विशेषताओं को प्राप्त किया है जैसे जनसंख्या 5,000 से अधिक है, मुख्य पुरुष कामकाजी आबादी का कम से कम 75 *प्रतिशत* कृषि क्षेत्र के बाहर कार्यरत है और प्रति किमी 400 व्यक्तियों का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है।

पहाड़ी राज्य होने के कारण, अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय राज्य के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः शहरी विकास नियोजन राज्य में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता है। राज्य की स्थलाकृति और भौगोलिक विशेषताएं योजनाकारों के लिए अतिरिक्त चुनौतियां हैं।

शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इनको पाँच वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाता है। इन निकायों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कानून बनाने एवं योजना लागू करने की शक्ति दी गई है। राज्य विधायिका शहरी स्थानीय निकायों के प्रभावी कामकाज हेतु विशिष्ट करों, शुल्कों, टोल आदि को आवंटित कर सकती है।

1.3 शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

राज्य में दो मण्डल नामतः गढ़वाल और कुमाऊँ हैं। राज्य में 91 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनका विवरण नीचे **तालिका-1.1** में दिया गया है।

तालिका-1.1: उत्तराखण्ड में श्रेणीवार शहरी स्थानीय निकाय

शहरी स्थानीय निकाय का प्रकार	गढ़वाल मण्डल	कुमाऊँ मण्डल	शहरी स्थानीय निकाय की कुल संख्या
नगर निगम	05	03	08
नगरपालिका परिषद	23	18	41
नगर पंचायत	25	17	42
योग	**53**	**38**	**91**

स्रोतः शहरी विकास विभाग द्वारा दी गई सूचना।

नगर निगम, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन और संशोधन आदेश 2002 द्वारा शासित होते हैं जबकि नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तरांचल संशोधन), 2002 द्वारा शासित होते हैं। शहरी स्थानीय निकायों को आगे वार्डों में विभाजित किया गया है जो पार्षदों के चुनाव के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किए जाते हैं। सभी शहरी स्थानीय निकायों की एक निर्वाचित कार्यकारिणी है। नगर निगम में महापौर और पार्षद सम्मिलित होते हैं जबकि नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष/सभापति और वार्ड सदस्य होते हैं।

1.4 संगठनात्मक ढाँचा

शहरी स्थानीय निकायों का समग्र नियंत्रण उत्तराखण्ड सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव (शहरी स्थानीय निकाय) के पास है। राज्य में शहरी विकास निदेशालय, शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रशासकीय विभाग है। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकलाप के संबंध में संगठनात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट-1.1*** में दिया गया है।

शहरी स्थानीय निकायों के अतिरिक्त, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नगर निकायों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों के अंश को करने के लिए शहरी विकास विभाग के पास अनेक प्रमुख पैरास्टेटल संस्थाएं हैं। इसके नियंत्रण में उत्तराखण्ड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (यू एच यू डी ए), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एम डी डी ए), उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रमुख पैरास्टेटल संस्थाएं हैं।